प्रेसनोट

पिथौरागढ़–23.09.13(सूवि),

जिलाधिकारी डा.नीरज खैरवाल ने सूचित किया है कि राज्य में आयी भीषण आपदा के दृष्टिगत राज्य सरकार और उत्तराखंड कौशल विकास समिति के माध्यम से एल. एण्ड टी., आईएल.ओ., फिकी द्वारा जनपद पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, चमोली तथा उत्तरकाशी और बागेश्वर क्षेत्रों के युवाओं हेतु रोजगारप्रद निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित किये जा रहे हैं, जिनके अंतर्गत बार कारपेन्टर, बैन्डर, मेसन (मिस्त्री एवं) व्यवसायों हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि 9 सितम्बर को प्रथम बैच एल एण्ड टी प्रशिक्षण केन्द्र पिलखुआ, गाजियाबाद भेजा जा चुका है, इसी क्रम में द्वितीय बैच आई एल ओ, फिक्की के माध्यम से एल एण्ड टी प्रशिक्षण केन्द्र पिलखुआ, गाजियाबाद (उ.प्र.) को 9 अक्टूबर से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा है कि इच्छुक अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष तथा कक्षा 5 उत्तीर्ण हो, अपना पंजीकरण दूरभाष–7409759759, 7409859859 व 9675785674 अथवा ऑनलाइन मोबाइल/कम्प्यूटर के माध्यम से मदतवसण्नोकउण्वतहए एवं ूण्नेकउण्बवण्पद पर 5 अक्टूबर तक कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नवनिर्माण एवं पुर्नस्थापना कार्यो में उपयोगी एवं रोजगारपरक सिद्ध होगा।

जिलाधिकारी ने जनपद में आपदाग्रस्त क्षेत्रों के युवाओं को, ग्राम विकास अधिकारियों/ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम प्रधानों के माध्यम से सूचित करने एवं उक्त अधिकारियों एवं ग्राम प्रधानों को इच्छुक अभ्यर्थियों के पंजीकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही कर अमल में लाने के निर्देश दिये हैं।

पिथौरागढ़–23.09.13(सूवि),

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ ओम कुमार ने मुख्य चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ को अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार एचआईवी/एड्स रोग से पीड़ित बच्चों का नाम प्रकाशित न किया जाय। उन्होंने इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है।

पिथौरागढ़–23.09.13(सूवि),

उप जिला मजिस्ट्रेट, नरेश दुर्गापाल ने सूचित किया है कि मा.उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखंड एवं उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में न्यायालय परिसर, चिकित्सालय, शैक्षिक संस्थाओं आदि के 100 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। उन्होंने उक्त आदेशों के अनुपालन में जिला कार्यालय परिसर पिथौरागढ़ को समस्त प्रकार के धरना–प्रदर्शन, रैली, जुलूस, अनशन आदि कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रतिबंधित किया जाता है।

उप जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि उक्त कार्यक्रमों हेतु टकाना स्थित रामलीला मैदान पिथौरागढ़ को अधिसूचित किया गया है। उन्होंने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि वे अपने कार्यक्रमों को टकाना स्थिति रामलीला मैदान में उसमें निर्मित किसी भी कक्ष का उपयोग किये बिना कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन के दौरान किसी प्रकार की तोड़फोड़, गढ़ढों का निर्माण आदि करना नियमानुसार दंडनीय होगा।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।